

# समाहरणालय गोपालगंज

(जिला प्रोग्राम शाखा-आई.सी.डी.एस)

विज्ञापन संख्या:-...01.../2025

एतद द्वारा सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि गोपालगंज जिला में समेकित बाल विकास सेवाएँ अन्तर्गत ऑगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु विभागीय मार्गदर्शिका ज्ञापांक 1846 दिनांक 10.06.2010 एवं पत्रांक 5994 दिनांक 31.12.2018 एवं अन्य पत्रों से प्राप्त दिशा-निर्देशों के आलोक में गोपालगंज जिला अन्तर्गत कार्यरत इच्छुक ऑगनबाड़ी सेविकाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

रिक्त पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की तिथि - 12/03/25 से 24/04/25 के संध्या 5:00 बजे तक की जायेगी। उसके पश्चात् आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञापन जिले के अधिकारिक वेबसाईट-gopalganj.nic.in के साथ-साथ <http://125.16.175.140:88/VacancyList.aspx> पर प्रदर्शित हैं एवं अभ्यर्थी इस वेब-पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर आवेदन समर्पित कर सकेंगे।

गोपालगंज जिला में रिक्त 22 पदों पर नियोजन हेतु कोटिवार विवरणी निम्नवत है:-

क0	आरक्षण कोटि	बैंकलॉक	चालू रिक्ति	कुल रिक्ति
01	गैर आरक्षित	00	06	06
02	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	00	02	02
03	अनुसूचित जाति	01	03	04
04	अनुसूचित जनजाति	00	01	01
05	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	01	03	04
06	पिछड़ा वर्ग	02	02	04
07	पिछड़े वर्गों की महिला	01	00	01
	कुल	05	17	22

उपरोक्त पदों पर दिव्यांगजन अभ्यर्थी (सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा) का रिक्ति निम्नवत है:-

• वधिर एवं श्रवण शक्ति में ह्रास दिव्यांग (DD):- 01

2. अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।

3. अभ्यर्थी केवल महिला ऑगनबाड़ी सेविका होगी।

4. अभ्यर्थी गोपालगंज जिला क्षेत्र की स्थायी निवासी हो। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. शैक्षणिक योग्यता:-

➤ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण। मैट्रिक की परीक्षा के प्राप्तांको का प्रतिशत निकालते समय अतिरिक्त (Extra) विषय के अंक को नहीं जोड़ा जायेगा। मात्र अनिवार्य (Compulsory) एवं ऐच्छिक (Optional) विषय को जोड़ा जायेगा।

➤ चयन वर्ष की पहली जनवरी को 10 वर्ष का कार्यकाल होना अनिवार्य होगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को 10 वर्ष की निरन्तर सेवा के लिए 10 अंक और उसके पश्चात सेवा के प्रत्येक अनुवर्ती पूर्ण वर्ष के लिए 01-01 अंक दिये जायेंगे। यह सेवा केवल उसी अवधि के लिए देय होगी, जिस अवधि के लिए मानदेय दिया गया हो।

➤ प्रत्येक अभ्यर्थी का उच्चतर परीक्षा (इण्टर/स्नातक/स्नाकोत्तर) यदि उत्तीर्ण होंगे तो उसके लिए अतिरिक्त बोनस अंक क्रमशः प्रथम श्रेणी (10 अंक) द्वितीय श्रेणी (05 अंक) तृतीय श्रेणी (03 अंक) प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर दिये जायेंगे।

➤ राष्ट्रीय पुरस्कार एवं राज्य पुरस्कार प्राप्त ऑगनबाड़ी सेविका को प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर क्रमशः 10 एवं 05 अतिरिक्त अंक दिये जायेंगे।

➤ शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/डिग्री को ही मान्यता दी जायेगी।

➤ आवेदन के पूर्व के ही निर्गत शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र/अन्य प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

➤ ऑगनबाड़ी सेविका के रूप में कार्य करते हुए उच्चतर डिग्री प्राप्त करने हेतु विधिवत अनुमति प्राप्त की गई है, तो आवेदिका को अनुमति प्राप्त करने का पत्र संलग्न करना होगा तभी उनके उच्चतर डिग्री का अंक जोड़ने पर विचार किया जायेगा।

6. राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. आरक्षित वर्गों के लिए जो लागू हो, जाति प्रमाण-पत्र, कीमिलेयर रहित प्रमाण-पत्र (अतिपिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए अनिवार्य) सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का लाभ लेने हेतु गैर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। एतद प्रमाण-पत्र निर्गत होने की तिथि से अगले 01 वर्ष तक मान्य होगा।

9. सामान्य प्रशासन विभाग, विहार सरकार के पत्रांक 12123 दिनांक 23.06.2023 के आलोक में विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थाई निवास (अंचल) से निर्गत होगा। परन्तु इस विवाहित

- महिला को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि विवेचित, विवाहित महिला बिहार राज्य कि मूल निवासी है। एतद प्रमाण-पत्र निर्गत होने की तिथि से अगले 01 वर्ष के लिए मान्य होगा।
10. अभ्यर्थी का उम्र 01 जनवरी 2025 को न्युनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। निदेशालय, आई.सी.डी.एस. के पत्रांक 41 दिनांक 29.01.2023 के आलोक में 45 वर्ष के उम्र के सीमा में 11 वर्ष की छुट दी गई है।
  11. अभ्यर्थी को संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा निर्गत कार्य अनुभव का प्रमाण-पत्र निर्गत करना होगा। जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी द्वारा कितने वर्षों तक सेविका के पद पर कार्य किया गया।
  12. अभ्यर्थी को मानसिक एवं शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना अनिवार्य है। मानसिक एवं शारीरिक अस्वस्थता/ दिव्यंगता का निर्धारण मेडिकल बोर्ड के प्रतिवेदन पर दिया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को सिविल सर्जन द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा।
  13. यदि दो सेविकाओं को सागान मेधा अंक प्राप्त होते हैं, तो अधिक आयु वाले सेविका का चयन किया जायेगा।
  14. अनियमितता के आरोप में चयनमुक्त ऑगनबाड़ी सेविका, महिला पर्यवेक्षिका के पद पर नियोजन हेतु अयोग्य होगी।
  15. अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या ज्ञापांक- 411 दिनांक 16.01.2025 के आलोक में महिला पर्यवेक्षिका का नियत मानदेय/पारिश्रमिक- 27,500 रुपये निर्धारित है। इसके लिए 120/-रु0 प्रति ऑगनबाड़ी केन्द्र निरीक्षण हेतु यात्रा भत्ता (अधिकतम 9000/- प्रतिमाह) निर्धारित है।
  16. ऑनलाईन आवेदन के पश्चात आवेदिका को पूर्णतः भरे हुए ऑनलाईन आवेदन की एक प्रति सभी आवश्यक प्रमाण-पत्र (आवासीय/जाति/शैक्षणिक उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र/अंक पत्र की अभिप्रमाणित प्रतियाँ तथा राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र इत्यादि) के साथ निबंधित डाक से जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को अनिवार्य रूप से भेजना होगा। लिफाफे के उपर बायीं ओर "ऑगनबाड़ी सेविका से महिला पर्यवेक्षिका पद हेतु आवेदन" लिखना आवश्यक है। आवेदन हाथों-हाथ स्वीकार नहीं किये जायेंगे। बिना ऑनलाईन आवेदन अथवा निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदन विचारणीय नहीं होंगे। आवेदन को 01 प्रति अपने पास सभी अभ्यर्थी अवश्य सुरक्षित रखेंगे।
  17. यह नियोजन माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर SLP(C) No.014086/2024, 014425/2024, 014096/2024, 014329/2024, 014079/2024, 014051/2024, 014132/2024, 014094/2024, 014081/2024 एवं 014430/2024 में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।
  18. आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही देय होगा।


19. अभ्यर्थी के द्वारा किसी प्रकार के गलत/ भ्रामक सूचना दर्ज करने, सूचना छुट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जबाबदेह होंगे। गलत या भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थिता के संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

20. संविदा के आधार पर नियोजित महिला पर्यवेक्षिका सरकारी सेवक नहीं मानी जायेगी और सरकारी सेवा हेतु अनुमान्य किसी भी सुविधा की वे हकदार नहीं होंगी। संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका कोई भी दावा नहीं बनेगा। परियोजना के किसी अन्य पद पर भी कोई दावा मान्य नहीं होगा।

21. विज्ञापन एवं सेवा शर्तों से संबंधित सभी अधिकार अधोहस्ताक्षरी के अधीन हैं। अधोहस्ताक्षरी विज्ञापन को संशोधित/रद्द करने के लिए सर्वाधिकार धारित करते हैं।

22. अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अद्यतन अन्य घोषणाओं हेतु जिला प्रोग्राम कार्यालय आई.सी.डी.एस., गोपालगंज एवं संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे अथवा gopalganj.nic.in वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे।

23. ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रवृष्टि में Edit का कोई प्रावधान नहीं होगा।


  
जिला पदाधिकारी  
गोपालगंज

ज्ञापांक 471 / दिनांक 03-03-25 /

प्रतिलिपि:- जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, जिला गोपालगंज को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशन कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, जिला गोपालगंज को सूचनार्थ एवं निदेश है कि विज्ञापन संबंधित सूचना जिले के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- निदेशक, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।



जिला पदाधिकारी  
गोपालगंज